क्रम-संख्या–280

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 28 दिसम्बर, 2020

पौष 7, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2164 / 79–वि–1-20-2(क) 24-2020
लखनऊ, 28 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2020) जिससे राजस्व अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उपधारा (6) का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 59 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्पष्टीकरण;

इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द ''स्थानीय प्राधिकरण'' में क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, छावनी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन ''औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे।''

धारा 80 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 80 में, उपधारा (2) का प्रथम परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

धारा 89 की उपधारा (2) का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 89 में, उपधारा (2) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जायेगा।

धारा 89 की उपधारा (3) का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (3) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

परन्तु यह कि जहाँ भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा, या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गयी हो, वहाँ राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी किसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की **दस** प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता हैः

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कोई अन्तरण, लोकहित में विभिन्न विनिधान प्रोत्साहन नीतियों के अधीन अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही परियोजनाओं, निजी विश्वविद्यालयों तथा मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये किया गया है वहाँ वह ऐसे किसी अंतरिती को इस उपधारा के अधीन जुर्माना के संदाय से छूट प्रदान कर सकती है।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2164(2) /LXXIX-V-1-20-2(ka) 24-2020

Dated Lucknow, December 28, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajasva Samhita (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 22 of 2020) promulgated by the Governor. The Rajasva Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U. P. Ordinance no. 22 of 2020)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy first Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

to amend the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :–

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Revenue Code (Amendment) Ordinance, 2020.

Amendment of section 59 of U.P. Act no. 8 of 2012

2. After sub-section (6) of section 59 of the Uttar Pradesh Revenue code, 2006 hereinafter referred to as the Principal Act, the following Explanation shall be *inserted,* namely :–

Explanation :

For the purpose of this section the word ‘‘Local Authority’’ includes Kshhetra Panchayat, Zila Panchayat, Town Area, Notified Area, Cantonment Area, Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Mahapalika, Nagar Nigam, Noida Vikas Pradhikaran, Greater Noida Vikas Pradhikaran, Yamuna Expressway Vikas Pradhikaran or any Industrial township declared under the Industrial Development Area under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 under the Article 243-Q of the Constitution of India.

Amendment of section 80

3. In section 80 of the principal Act, the first proviso to sub-section (2) shall be *omitted.*

Amendment of sub-section (2) of section 89

4. In section 89 of the principal Act, the Explanation to sub-section (2) shall be *omitted.*

Amendment of sub-section (3) of section 89

5. In sub-section (3) of section 89 of the principal Act for the proviso, the following proviso shall be *substituted,* namely :–

Provided that where the land has been acquired or purchased by a registered firm, company, partnership firm, limited liability partnership firm, trust, society or any other educational or a charitable institution, without obtaining prior approval under this sub-section or sub-section (3) of section 154 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as enacted before the repeal, the State Government or an officer authorized for this purpose under this Act, may give its approval for regularizing such

acquisition or purchase, after payment of an amount as fine, which shall be **ten percent** of the cost of the land in excess of the limit prescribed under sub-section (2) calculated as per the circle rate prevailing at the time of making the application :

Provided further that where the State Government is satisfied that any transfer has been made in the public interest under various promotion investment policies or for the projects being encouraged by the State Government, for the establishment of private universities and medical colleges, it may exempt any such transferee from the payment of fine under this sub-section.

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 549 राजपत्र–2020–(1134)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 169 सा0 विधायी–2020–(1135)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।